



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 11.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/21 धारा 380 भादवि0 का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा चोरी के 2953 रू0 बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह
2. मंजीत सिंह पुत्र कुलवीर सिंह नि0 गण ग्राम श्रीनगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हीरालाल रावत
2. का0 इन्द्रेश कुमार
3. का0 बलदेव सिंह
4. का0 आशू शर्मा

थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, 46 शिकायतों का किया गया सफल निस्तारण



आज दिनांक 11-09-21 को माह के द्वितीय शनिवार को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा थाना ईसानगर एवं थाना खीरी पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान महोदय द्वारा थाना ईसानगर व थाना खीरी पर "मिशन शक्ति" के सृष्टि क्रियान्वन हेतु महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया, जहाँ ड्यूटी पर उपस्थित महिला आरक्षियों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा उनके निस्तारण के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। महिला बीट आरक्षियों से वार्ता कर महिला सम्बन्धी अपराध/शिकायतों से सम्बन्धित रजिस्ट्रों का अवलोकन किया गया। "मिशन शक्ति" के सम्बन्ध में महिला बीट आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सर्किल मुख्यालय के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थानों पर कुल 83 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें 46 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरण के संबंध में टीम गठित कर जांच हेतु मौके पर भेजी गई।

मिशन शक्ति से अपनों के चेहरों में लौटी मुस्कान

“मिशन शक्ति” तृतीय फेज के क्रम में दिनांक 21.08.2021 से अब तक पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की महिला बीट आरक्षियों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने-अपने बीट/गांवों में जाकर मिशन शक्ति के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गई। मिशन शक्ति के अन्तर्गत अब तक कुल 352 प्रार्थना पत्र मिले जिसमें सभी का सकुशल निस्तारण किया गया। गांव-गांव जाकर महिला बीट आरक्षियों द्वारा प्रार्थना पत्र की भलीभाँति जांच कर उनका निस्तारण कराया गया, सभी कार्यों की स्थानीय व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की गयी। मिशन शक्ति के दौरान महिला बीट आरक्षियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य विवरण निम्नलिखित है:-

श्री तेजपाल पुत्र बांकेलाल निवासी मैनहाघाट थाना फूलबेहड़ खीरी द्वारा अपनी भतीजी को विपक्षीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना फूलबेहड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग के विवेचक उ०नि० श्री महेन्द्र प्रताप यादव व महिला बीट आरक्षी मोहिनी त्रिवेदी व महिला आरक्षी निशा चौहान के अथक प्रयासों के फलस्वरूप अपहर्ता को 05 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद किया गया।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. लाल बहादुर पुत्र अधेवद आदि 04 नफर सर्व नि०गण निवासी केज कंदरापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 1,520 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 382/21 धारा 13 जुआं अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 154/21 धारा 302 भादवि वांछित अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र मोतीलाल निवासी रामलीला मैदान इस्सता माबाद थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 477/21 धारा 354/323 भादवि में वांछित अभियुक्त रामसागर पुत्र रामलाल निवासी मगदापुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना भीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 93/21 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त 1. रामू पुत्र पुत्रु लाल निवासी ककराहा थाना खीरी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना सिंगाहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 240/21 धारा 323/504/376 भादवि में वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र दयाराम निवासी अयोध्यापुरवा थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना सिंगाहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 23740/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त मंजीत पुत्र चौधरी निवासा भैरमपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 449/21 धारा 147/148/307/427/379/506 भादवि में वांछित अभियुक्त पवन वर्मा पुत्र डोरेलाल निवासी कैथोला थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 150 लीटर अवैध शराब सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **150 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 07 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मितौली	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैलानी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना खीरी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना गोला	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पसगवां	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	150 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार